

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्रालय
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, खेल गांव के सामने नई दिल्ली)

एफ. सं.: PAD-2023-24-000091

दिनांक: 09.07.2026

विषय: एपीडा, नई दिल्ली में सहायक (अनुबंध के आधार पर) की नियुक्ति

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एक स्वायत्त संगठन है, जो वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्राधिकरण का मुख्य दायित्व भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। एपीडा कृषि व्यापार सुविधा में सक्रिय रूप से संलग्न है और भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार पहुँच को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इस भूमिका में ब्रांड समर्थन का प्रबंधन, बाजार के रुझानों का विश्लेषण, विपणन रणनीतियों का विकास, प्रचार और मीडिया संबंध, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया, रचनात्मक टीम के साथ समन्वय और ब्रांड सहयोग की देखरेख शामिल है। एपीडा ऐसे प्रतिभाशाली, नवोन्मेषी और ऊर्जावान पेशेवरों को **सहायक(अनुबंध के आधार पर)** के पद पर नियुक्त करना चाहता है।

2. प्रकार एवं अनुबंध की अवधि

2.1 यह नियुक्ति सहायक स्तर पर होगी।

2.2 यह नियुक्ति केवल अनुबंधनात्मक आधार पर किया जाएगा।

2.3 यह अनुबंधनात्मक नियुक्ति प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसमें तीन सप्ताह की परीक्षा अवधि सम्मिलित होगी। नियुक्ति की अवधि का वर्ष दर वर्ष विस्तार किया जा सकता है, जो प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर निर्भर करेगा। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में अवधि का आगे विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा।

3. अर्हता, अनुभव तथा रिक्तियाँ :सहायक के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव पर विचार किया जाएगा।

3.1 अर्हताएं:

पद	रिक्त पद	शैक्षणिक अर्हताएं
----	----------	-------------------

सहायक (व्यापार मेला)	1*	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन/ MBA (मार्केटिंग) में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) मास कम्युनिकेशन/ MBA (मार्केटिंग) में स्नातकोत्तर डिग्री के बाद न्यूनतम 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव। वांछनीय: इवेंट प्लानिंग, वेंडर समन्वय, स्थल और आगंतुक प्रबंधन और मार्केटिंग सहयोग में पूर्व अनुभव।
सहायक (जैविक विनियमन)	1*	अनिवार्य: (i) कृषि/उद्यान विज्ञान में स्नातकोत्तर। (ii) कृषि/उद्यान विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के बाद न्यूनतम 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव। वांछनीय: • खाद्य क्षेत्र में नियामक अनुपालन/मानकों और ऑडिट के क्षेत्र में अनुभव। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण में अनुभव।

* सक्षम प्राधिकरण के पास आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है।

- 3.2 एक उम्मीदवार केवल एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
- 3.3 आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 3.4 आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3.5 सक्षम प्राधिकारी को अपनी विवेकाधिकार से किसी भी आवेदन / उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में उम्मीदवार की कोई पत्र- व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगी।
- 3.6 गलत घोषणा / असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या कानून के विपरीत कोई अन्य कार्य करना किसी भी चरण में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- 3.7 **आयु सीमा**
 सहायक पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।
4. **पारिश्रमिक एवं वार्षिक वृद्धि**

- 4.1 उक्त पद हेतु निर्धारित पारिश्रमिक में सभी प्रकार के लागू कर सम्मिलित होंगे तथा किसी अन्य सुविधा अथवा भत्ते का भुगतान पृथक् से नहीं किया जाएगा। उक्त पद के लिए पारिश्रमिक की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

पद	प्रति माह पारिश्रमिक (रु.)
सहायक (व्यापार मेला)	रु.80,000/- से रु.1,05,000/-
सहायक (जैविक विनियमन)	रु.80,000/- से रु.1,05,000/-

5. **यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता:** सहायक को भारत के किसी भी स्थान पर यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। भ्रमण के दौरान, केन्द्रीय सरकार के वेतन स्तर-10 के अधिकारियों के लिए निर्धारित टीस .ए.डी /ए.हायक को देय होगा।

6. कार्य समय एवं अवकाश:

- 6.1 सामान्यतः कार्य दिवसों में कार्यालय समय प्रातः 9.5 बजे से सायं 00.बजे तक रहेगा 30, जिसमें आधे घंटे का भोजन अवकाश सम्मिलित रहेगा। तथापि, कार्य की आवश्यकता होने पर सहायक को निर्धारित समय से अधिक रुकना पड़ सकता है तथा शनिवार / रविवार अथवा अन्य सरकारी अवकाश के दिनों में भी कार्यालय / कार्य हेतु आना आवश्यक हो सकता है।

- 6.2 सहायक को एक वर्ष की अवधि में अनुपातिक आधार पर दिनों का अवकाश प्राप्त होगा 20, जो नियंत्रक अधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के अधीन होगा। अप्रयुक्त अवकाश अगले वर्ष हेतु आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से एक माह तक का अवकाश बिना मानदेय के स्वीकृत किया जा सकता है।

हालांकि, व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण आदि जैसे दुर्लभ एवं विशेष मामलों में यह शर्त अध्यक्ष, एपीडा की स्वीकृति से, प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, शिथिल की जा सकती है।

- 6.3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, महिला सहायक मातृत्व लाभ अधिनियम (संशोधन), के अंतर्गत 2017, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पत्र क्र .S-36017/03/2015-SS-1 दिनांक अप्रैल 12, के अनुसार 2017, मातृत्व अवकाश की पात्र होगी।

7. सेवा समाप्ति:

- 7.1 विभाग किसी भी समय दिनों का नोटिस देकर अथवा उसके बदले 30“एक माह का वेतन” देकर सेवा समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार, सहायक भी इसी अवधि की सूचना देकर अपना त्यागपत्र दे सकता / सकती है।
- 7.2 यदि सहायक द्वारा सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में गंभीर चूक पाई जाती है अथवा आचरण के मानकों का उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग किसी भी अवस्था में सेवा समाप्त करने का अधिकार रखता है।

8. सामान्य नियम एवं शर्तें:

- 8.1 एपीडा द्वारा सहायक को कार्यालय में कार्यारम्भ से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकता है।
- 8.2 सहायक की नियुक्ति, उसके शैक्षणिक योग्यताओं एवं अनुभव से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन के अधीन होगी। यदि किसी भी स्तर पर प्रस्तुत की गई कोई सूचना या दस्तावेज असत्य त्रुटिपूर्ण पाया जाता है /, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी तथा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

- 8.3 सहायक पर समय समय पर संशोधित-आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधान लागू होंगे तथा वह अपने कार्यकाल के दौरान विभाग में सहायक के रूप में नियुक्ति के समय प्राप्त किसी भी सूचना / डाटा को किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा | ऐसी सभी जानकारी / रिकॉर्ड / कागजात / सॉफ्टवेयर / ईमेल आदि एपीडा की संपत्ति होंगे।
- 8.4 सहायक व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से यह विज्ञापन नहीं करेगा या अन्यथा सार्वजनिक नहीं करेगा कि उसका एपीडा के साथ अनुबंध संबंध है। वह एपीडा के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना व्यवसाय या अन्यथा के संबंध में एपीडा के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर या एपीडा के नाम के किसी संक्षिप्त रूप का किसी भी तरह से उपयोग नहीं करेगा।
- 8.5 सहायक से अपेक्षा की जाएगी कि वह एपीडा के नियमों एवं विनियमों के अनुरूप आचरण करेगा/करेगी। उससे यह भी अपेक्षित होगा कि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्च नैतिक चरित्र, सत्यनिष्ठा, गोपनीयता एवं कार्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित करे। यदि उसकी सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं या एपीडा के हितों के प्रतिकूल पाई जाती हैं, तो उसकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना या मुआवजे के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती हैं।
- 8.6 सामान्यतः, सहायक अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के पालन के संबंध में एपीडा के बाह्य किसी भी प्राधिकरण से निर्देश न लेगा और न ही स्वीकार करेगा। सहायक अनुबंध के निर्वहन या उससे संबंधित अपने दायित्वों के संदर्भ में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एपीडा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। सहायक यह आश्वासन देता / देती है कि उसने अनुबंध के क्रियान्वयन अथवा उसके प्रदाय से संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ की पेशकश एपीडा के किसी प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी अथवा अभिकर्ता को नहीं की है और न ही करेगा / करेगी। सहायक अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन में लागू सभी विधियों, अधिसूचनाओं, नियमों तथा विनियमों का पालन करेगा / करेगी। अनुबंध के पालन के दौरान सहायक आचरण के सामान्य मानकों का अनुपालन करेगा / करेगी। उपर्युक्त मानकों का अनुपालन न किया जाना, कारण सहित सहायक अनुबंध की समाप्ति का आधार माना जाएगा।
- 8.7 **यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध:** अनुबंध के कार्यनिष्पादन में सहायक को “कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न निवारण), प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम (, 2013” के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना होगा। सहायक यह स्वीकार करता करती है कि उपर्युक्त प्रावधानों में से किसी/का भी उल्लंघन अनुबंध की एक मूलभूत शर्त का उल्लंघन माना जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप किसी भी अन्य विधिक अधिकार या उपचार के अतिरिक्त, अनुबंध की समाप्ति हेतु आधार उत्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त, एपीडा को यह अधिकार रहेगा कि उपर्युक्त आचरण मानकों के किसी भी कथित उल्लंघन को उपयुक्त विधिक कार्रवाई हेतु संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकारियों को संदर्भित करे।
- 8.8 एपीडा में सेवाएं प्रदान करते समय किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु, चोट या बीमारी होने पर सहायक अथवा उसके परिजन को किसी प्रकार का मुआवजा अथवा नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 8.9 सहायक को नियुक्ति से पूर्व संबंधित थाने से जारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट तथा किसी अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सीय तथा फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8.10 नियुक्ति की अवधि एपीडा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आरंभ मानी जाएगी।
- 8.11 सहायक के रूप में नियुक्ति की अवधि से एपीडा अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग में भावी नियुक्ति / नियोजन का कोई दावा या अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
9. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है:

रुचि रखने वाले अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में (संलग्न प्रति के अनुसार) अपने हस्ताक्षरित एवं टंकित आवेदन पत्र, स्कैन की हुई जीवनवृत्त (सीवी) तथा संबंधित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

10. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22.07.2026 है।

टंकित एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से recruitment@apeda.gov.in पर भेजा जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र में जिस पद के लिए आवेदन किया गया है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना अनिवार्य है।

नोट: केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा।

विभाग प्रमुख (कार्मिक)
एपीडा

सहायक (व्यापार) पद के लिए आवेदन
(अनुबंध के आधार पर)

प्रति,

विभाग प्रमुख (कार्मिक)

एपीडा

तीसरी मंजिल, 3 सिरी संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग

हौज खास, नई दिल्ली -110016

आवेदित पद: (i)सहायक (व्यापार मेला)

(ii)सहायक (जैविक विनयमन)

नवीनतम
पासपोर्ट
आकार की
छायाचित्र
चस्पा करें

1. पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में): _____
2. पिता / पति का नाम: _____
3. स्थायी पता: _____
4. पत्र व्यवहार का पता: _____
5. संपर्क क्रमांक और ईमेल आईडी: _____
6. जन्म तिथि: _____
(आयु प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)
7. राष्ट्रियता: _____
8. शैक्षणिक / व्यावसायिक अर्हताएं:

विश्वविद्यालय / बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	वर्ग / विषय	प्राप्तांकों का % अंक / सीजीपीए

(आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. संबंधित क्षेत्रों में अर्हता प्राप्ति के पश्चात कार्य अनुभव:

नियोक्ता का नाम और पता	अवधि (दिन / माह / वर्ष में)	कुल कार्यकाल (वर्षों और महीनों में)	पदनाम	कार्य / दायित्वों की प्रकृति

(अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. प्रवीणता सहित ज्ञात भाषाएं:

11. कोई अन्य संबंधित जानकारी:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक: _____

स्थान: _____